



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3127

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40769 वर्ष 2025

मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अंकुश शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री अंकुश शर्मा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री आर. के. निषाद, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ब्रीफ होल्डर, की ओर से सुश्री खुशबू गुप्ता का पक्ष सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिम की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मुकदमा अपराध संख्या 285/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके आपराधिक इतिहास के 8 मामलों का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक, जो 31.3.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के खिलाफ विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख में दर्ज साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिम** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों। निम्नलिखित शर्तों के साथ:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

परीक्षण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

7 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।